

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 74/2019

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

नरेन्द्र टेन्ट हाउस, लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री नरेन्द्र पुत्र श्री दशरथ सिंह, निवासी: लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित:- श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 18.02.2020


संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.09.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल के अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर मौके से 01 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.-GAS	TYPE
1	1 अप्रमाणित छोटे	-	-	-	-	-

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने निवास का पूर्ण पता आदि बाबत होने से इन्कार किया गया। चूकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 4 (1) ड, 6 का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायान गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासी: फकीरखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो अदम तामिल/दुकान पर चस्पानगी की रिपोर्ट के प्राप्त हुआ। अप्रार्थी वरवक्त सुनवाई उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.09.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर



जिला कलक्टर

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4 (1) ड, 6 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया 01 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 04.09.2019 के खण्डन बाबत अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के तथ्य भी प्रकट नहीं है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये उक्त 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।




(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर